बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / सा०बि०पा०डि०कं०लि०–02 / 2018 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः– **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के ग्राम सिसरित में एक अदद 33/11 के० वी० 2X5 एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 5.54 करोड़ (पाँच करोड़ चौवन लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 5.54 करोड़ (पाँच करोड़ चौवन लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–529 दिनांक–21.02.2018 के आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के ग्राम सिसरित में एक अदद 33/11 के० वी० 2X5 एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 5.54 करोड़ (पाँच करोड़ चौवन लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 5.54 करोड़ (पाँच करोड़ चौवन लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102– साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना, माँग सं0–10, विपत्र कोड–10–4801057890102 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
3936476000.00	2833071000.00	55400000.00	2888471000.00	1048005000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047– साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

7. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–02/2018 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०–02/2018 14 /पटना, दिनांक–26/02/2018

प्रतिलिपिः–लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।